समाचार-प्रकाषनार्थ:-

सैलाना रोड क्षेत्र से 35 हजार स्क्वेयर फीट षासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर कब्जे में लिया

अवैध रूप से कालोनी विकसित करने वालो व षासकीय भूमि पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध निरंतर जारी रहेगी कार्यवाही

रतलाम 3 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार विकास अनुममति के बिना अवैध रूप से कालोनी विकसित करने वाले कालोनाईजरों के विरूद्ध कार्यवाही के साथ षासकीय भूमि पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही जिला, पुलिस व निगम प्रषासन ने प्रारंभ करते हुए सैलाना रोड क्षेत्र से 35 हजार स्क्वेयर फीट भूमि को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के मार्गदर्षन में अतिक्रमण मुक्त कराकर कब्जे मे लिया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार अवैध रूप से कालोनी विकसित करने वाले कालोनाईजरों के साथ ही 03 अक्टूबर रविवार के षासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई जिसके तहत सैलाना रोड स्थित तिरूपति नगर के बाहरी क्षेत्र में 35 हजार स्क्वेयरफीट भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण मुक्त भूमि का समतलीकरण किया जाकर सड़क किनारे बैठने वाले फल, सब्जी विक्रेताओं के व्यवसाय के लिये उपयोग किया जायेगा।

उक्त भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को तोड़ने हेतु निगम द्वारा निर्धारित 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से अतिक्रमणकर्ता से राषि वसूली जायेगी जिसके तहत अतिक्रमणकर्ता से अवैध निर्माण तोड़ने की राषि वसूलने हेतु षीघ्र नोटिस जारी किये जा रहा है। श्री झारिया ने बताया कि अवैध कालोनियों और शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम सतत जारी रखी जाएगी।

भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही के दौरान एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत, सीएसपी श्री हेमन्त चौहान, तहसीलदार श्री गोपाल सोनी, उपयंत्री श्री

मनीश तिवारी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर व लोक निर्माण विभाग का अमला उपस्थित था। नगर निगम उपयंत्री मनीष तिवारी और दिशा निजामपुर के नेतृत्व में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की गई।

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नागरिकों को अपशिष्ट के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्पले के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश

अलग-अलग कचरा निपटान रोजगार का साधन है

रतलाम 03 अक्टूबर । शहर के विभिन्न वार्डों में घरों से सूखा और गीला कचरा अलग-अलग करने के लिए अभियान चलाया गया और नागरिकों को समझाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के पहले दिन ही दिन से नगर के सम्मानीय नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को नागरिकों को अपशिष्ट के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्पले के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरुक किया गया है।

इस मौके पर नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कहा कि नगर निगम नागरिकों से लगातार अनुरोध करता आ रहे है कि गीले और सूखे कचरे को अपने घर या दुकानों में अलग-अलग ही रखे और कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग खानों में ही इसका निपटान भी करे।

श्री झारिया ने कहां कि गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने से जहां एक और स्वच्छता बनी रहती है,वही कुछ लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। हम आजादी के इस अमृत महोत्सव के मौके पर शहर के सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहेगे कि किसी भी तरह के कचरे को सडक़ और नालियों में न फेके, कचरा फेंकने पर इधर-उधर सडक़ों पर आ जाता है। नगर निगम का सहयोग करें। निकाय के सहयोग से यह जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें सफाई मित्रों का विशेष योगदान रहा। लोगों को होम कंपोस्टर, डोर टू डोर वेस्ट सेग्रीगेशन, प्लास्टिक के बाद कचरा अलग करने के बारे में जानकारी दी गई।

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ डिजिटल डिस्पले

स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी श्री सुरेशचन्द्र व्यास के निर्देशन में आज नागरिकों को अपशिष्ट के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्पले के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश दिया गया। यह डिजिटल डिस्पले नगर निगम चौराहे से शुरु हुआ जो न्यू कोर्ट चौराहा, दो बत्ती, दिल बहार चौराहा, महू रोड़ फव्वारा चौक, बस स्टेण्ड, लोकेन्द्र टाकीज रोड़, सैलाना बस स्टेण्ड, राम मंदिर, अलकापुरी चौराहा, शहर सराह, आबकारी चौराहा, हाट रोड़ गौशाला रोड़, चांदनी चौक, लक्कड़पीठा,बाजनी बस स्टेण्ड, चौमुखी पुल, घांस बाजार सहित पूरे शहर के प्रमुख चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर पहुचा। इस मौके पर प्रभारी सहायक यंत्री श्याम कुमार सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह,झोन प्रभारी पर्वत हांड़े,किरण चौहान व सफाई मित्र समूह की टीम उपस्थित रही।

स्लम बस्तियों में रहने वालों को जागरुक किया

कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों से जुड़े रहवासी इलाकों में सफाई मित्र समूह की टीम ने लोगों को अलग-अलग कचरा एकत्र कर इसका निपटान कचरा संग्रहण वाहन में करने की समझाईश दी। समूह की टीम ने आज ईश्वर नगर, मोती नगर, धीरजशाह नगर, खेतलपुर, सिलावटों का वास(हरिजन बस्ती) बाजना बस स्टेण्ड क्षेत्र, अमृतसागर कालोनी,जावरा रोड़, अम्बेकर नगर सहित एक दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में लोगों को कचरा पृथ्कीकरण की समझाईश दी है।

अतिक्रमण करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

जुर्माने के रूप मंे 22 हजार की राषि वसूली

रतलाम 3 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 3 अक्टूबर रविवार को अस्थाई अतिक्रमण करने वाले 4 व्यक्तियों पर जुर्माना कर 22 हजार की राषि वसूल की।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार अस्थाई अतिक्रमण करने पर रामेष्वर बरबड़ रोड पर 15000, महिपाल चौहान सन सिटी के सामने पर

5000, षर्मा वेल्डिंग गीता मंदिर रोड व भीम सिंह लोकेन्द्र टॉकिज रोड पर 2000-2000 रूपये का जुर्माना कर भविश्य में अतिक्रमण ना करने की समझाईष दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले, अतिक्रमण करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

3 अक्टूबर को 61 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

रतलाम 03 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 03 अक्टूबर रविवार को 61 टन कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

03 अक्टूबर रविवार को डम्पर से 32390, टेªक्टर से 4240, काम्पेक्टर सूखा कचरा 16020 व गीला कचरा 8905 किलो इस तरह कुल 61555 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

नगर निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुश्मान कार्ड

रतलाम 03 अक्टूबर । आयुश्मान भारत “निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःषुल्क आयुश्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है

इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुश्मान भारत "निरामयम' ' योजना के तहत नगर के षेश रहे पात्र हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड नगर निगम के विकास षाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे है।

आयुश्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया है कि रतलाम नगर के षेश रहे हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड निःषुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

1467 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 27 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 03 अक्टूबर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु राषि रूपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 3373 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1705 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1427 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यषील

पूंजी हेतु राषि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 38 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 209 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 35 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 25 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 2 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 03 अक्टूबर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 03 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05ः30 से 08ः00 बजे तक व शाम को 06ः00 से रात 10ः00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाषक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 03 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 अक्टूबर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/03.10.2021/न.पा.निगम, रतलाम.